# ग्राम पंचायत हलाण–II, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 1.4.14 से 31.3.17

## भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हलाण–II, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–**

**(i) प्रधानः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री राजीव ठाकुर | 1.4.14 से 21.1.16 |
| 2 | श्री विजय कुमार | 22.1.16 से लगातार |

**(ii) सचिवः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री रोशन लाल | 1.4.14 से 21.2.15 |
| 2 | श्री हीरा लाल | 22.2.15 से 15.6.15 |
| 3 | श्रीमती रमना देवी | 16.6.15 से 19.5.16 |
| 4 | श्री सुन्दर सिंह | 20.5.16 से 22.11.16 |
| 5 | श्री अविनाश शर्मा | 23.11.16 से लगातार |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

ग्राम पंचायत हलाण–II के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | विवरण | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | रोकड़ बहियों व बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तिम शेष में भारी अन्तर | 6.12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु | 11.95 |
| 3 | 8 | अनुदान का उपयोग न करना | 30.42 |
| 4 | 11 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय | 9.68 |

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत हलाण–II, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.10.17 से 27.10.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 9/14, 12/15 व 5/16 तथा 7/14, 7/15 व 7/16 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

**3 अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत हलाण–II, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-129 दिनांक 27.10.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलाण–II से अनुरोध किया गया।

**4 वित्तीय स्थितिः–**

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

**(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः–** ग्राम पंचायत हलाण–II द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों की पास बुकों

के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–I (क)** में दिया गया है।

| वर्ष | अथशेष (₹) | प्राप्ति (₹) | ब्याज (₹) | योग (₹) | व्यय (₹) | अन्तिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 2180312.54 | 4367319 | 81627 | 6629258.54 | 4410138 | 2219120.54 |
| 2015–16 | 2219120.54 | 5786059 | 76354 | 8081533.54 | 6028878 | 2052655.54 |
| 2016–17 | 2052655.54 | 6012647 | 172124 | 8237426.54 | 4039461 | 4197965.54 |

**(ii) मनरेगाः– परिशिष्ट–I (ख)**

| वर्ष | अथशेष (₹) | प्राप्ति (₹) | ब्याज (₹) | योग (₹) | व्यय (₹) | अन्तिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | – | 20000 | 412 | – | 281585 | – |
| 2015–16 | – | – | – | – | 237255 | – |
| 2016–17 | – | – | – | – | 441930 | शून्य |

**(ख) दिनांक 31.3.17 को पंचायत को विभिन्न बैंक खातों में शेष राशियों का विवरणः–**

| क्र0सं0 | खाता सं0 | बैंक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50063825311 | के0सी0सी | 362210 |
| 2 | 20077008398 | के0सी0सी | 4313645 |
| 3 | 65134693726 | एस0बी0आई0 | 3690 |
| 4 | 50054954452 | के0सी0सी | 118923 |
| 5 | 11327166534 | एस0बी0आई0 | 811.54 |
| 6 | 2007008626 | के0सी0सी | 10399.00 |
| 7 | 30399727618 | एस0बी0आई0 | – |
| | | **कुल** | **₹4809678.54** |

| | | |
|---|---|---|
| (ग) (i) | 31.3.17 को बैंक में जमा राशियाँ | 4809678.54 |
| (ii) | 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेंष | 4197965.54 |
| (iii) | अन्तर | 611713.00 |

**4.1 विभिन्न अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–**

अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वरा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–3 (क से ग)** में दिया गया है।

**4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹6.12 लाख का भारी अन्तरः–**

ग्राम पंचायत हलाण–II की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को ₹611713 का अन्तर पाया गया। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.3 विभिन्न अनुदानों के लिए एक बैंक खाते का रख रखाव करने बारेः–**

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व प्राप्त अनुदानों के लिए बैंक खाता संख्या 50063825311 व 20077008398 का प्रयोग किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5) C(15)-13(1) 5-47005-81 दिनांक 15.2.12 के अनुसार प्रत्येक योजना के लिए पृथक बैंक खाता खोलना अपेक्षित था। अतः विभिन्न अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त पत्र संख्या के अनुसार बैंक खातों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

**5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–**

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने

के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | अवधि | हस्तगत राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 31.1.15 से 8.2.15 | 1713 |
| 2 | 9.2.15 से 11.2.15 | 2246 |

**6 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करने बारेः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणें को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**7 पंचायत राजस्व ₹11.95 लाख वसूली हेतु शेषः–**

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "4"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत की राजस्व ₹1195129 की वसूली निम्न प्रकार से शेष थी

**(i) गृहकर**

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 95268 | 19742 | 115010 | 150 | 114860 |
| 2015–16 | 114860 | 19742 | 134602 | 14630 | 119972 |
| 2016–17 | 119972 | 19742 | 139714 | – | 139714 |

**(ii) दुकानों से किराया**

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 523215 | 182400 | 705615 | – | 705615 |
| 2015–16 | 705615 | 182400 | 888015 | – | 888015 |
| 2016–17 | 888015 | 182400 | 1070415 | 20000 | 1050415 |

**(iii) मोबाईल टावर**

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | शून्य | 2500 | 2500 | – | 2500 |
| 2015–16 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 |
| 2016–17 | 2500 | 2500 | 5000 | – | 5000 |

उपरोक्त राजस्व की बकाया वसूली में से ₹1050415 की वसूली दुकानों से किराये की है जोकि अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। दुकानों के किराए की बकाया राशि की वसूली के सन्दर्भ में सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बकाया राशि की वसूली हेतु दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए है तथा उक्त राशि की वसूली जल्द कर ली जाएगी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया कुल ₹1195129 की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

**7.1 मांग व वसूली रजिस्टरों को 31.3.17 तक पूर्ण न करने बारेः—**

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर व दुकानों से किराया मांग व वसूली रजिस्टरों को दिनांक 31.3.2017 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः मांग व वसूली रजिस्टरों को पूर्ण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त रजिस्टरों को दिनांक 31.3.2017 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**8 अनुदान ₹30.42 लाख का उपयोग न करनाः—**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई **परिशिष्ट—5** की सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹3041838 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी प्राप्त करके व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

**9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होने बारेः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किया बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्न विवरणानुसार कार्यों के प्राक्कलन व प्रशासनिक स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित की जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम

अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | अनुदान | कार्य का नाम | माह | माह में व्यय राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA | नि0 खाता युवक मण्डल वार्ड नं0 4 | 9/14 | 62608 |
| 2 | LADA | नि0 खाता ग्राम पंचायत हलाण–II के प्राईमरी स्कूल के कमरे का निर्माण | 9/14 | 121111 |
| 3 | -- | नि0 खाता पक्का रास्ता गाँव मंगणा | 9/14 | 71865 |
| 4 | VMJS | नि0 खाता सामुदायिक भवन देवता नाग धुम्बल गाँच पीह | 7/15 | 335200 |
| 5 | LADA | नि0 खाता शौचालय पतलीकुहल | 7/15 | 65280 |
| 6 | VMJS | नि0 खाता सामुदायिक भवन देंवता नाग धुम्बल गाँव पीह | 7/16 | 511022 |

**10 दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा शेष राशियों व अनुदान की शेष राशियों में ₹17.67 लाख के अन्तर बारेः–**

ग्राम पंचायत हलाण–II के लेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को पंचायत के विभिन्न बैंक खातों **(परिशिष्ट–2)** में शेष जमा राशियों व अनुदानों की शेष राशियों **(परिशिष्ट–5)** में ₹1767840.54 का भारी अन्तर था। अतः अन्तर की राशि किस–2 शीर्ष (Head) से सम्बन्धित है कि गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| | | |
|---|---|---|
| (i) | 31.3.17 को बैंक में जमा राशियाँ | ₹4809678.54 |
| (ii) | 31.3.17 को अनुदानों की शेष राशियाँ | ₹3041838.00 |
| (iii) | अन्तर | ₹1767840.54 |

**11 औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ₹9.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित करना आदि प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹968235 के स्टॉक/स्टोर का क्रय

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| Sr.No. | Name of Register |
|---|---|
| 1 | T.A. Check Register |
| 2 | Temporary Advance Register |
| 3 | Bill Register |
| 4 | Mobile Tower demand & collection Register |
| 5 | Work Register |
| 6 | Stationary Register- |
| 7 | Cheque issue/Receipt Register |

**13 ₹1.13 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करनाः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जोकि उक्त नियम के विपरीत होने के कारण आपत्तिजनक है। अतः **परिशिष्ट–7** में दिए गए विवरणानुसार ₹113177 की मदों क्रय सामानों की स्टॉक

प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**15 लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

**16 निष्कर्षः–** पंचायत के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 21/2017–खण्ड–1–2057–2060 दिनाँक 23.03.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

**पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत हलाण–II, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

फोन नं0 0177–2620881